न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
04-11-24	पत्रावली पेश हुई। [illegible] उभय पक्षकारान् उपस्थित। [illegible] अधिकारी दौरे/अन्य कार्य [illegible] में हैं। पत्रावली [illegible] हेतु दिनांक 28-11-24 को पेश हो।	
28.11.2024	पत्रावली पेश हुई। वकील वादीगण उपस्थित। प्रकरण में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से चाही गई वांछित जॉच रिपोर्ट तहसीलदार श्रीमाधोपुर के जरिये पत्रांक 2849/भू.अ./2024 दिनांक 25.10.2024 के द्वारा जॉच रिपोर्ट प्राप्त हुई। जो शामिल पत्रावली की गई। वकील वादीगण ने प्रकरण में आज ही बहस सुनी जाने का निवेदन किया। वकील वादीगण के निवेदन पर प्रकरण में बहस वकील वादीगण एक पक्षीय सुनी गई। वास्ते निर्णय/आदेश पत्रावली दिनांक 05.12.2024 को पेश हो। (अनिल कुमार) सहायक कलक्टर(फास्टट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)	
05.12.2024	पत्रावली वास्ते निर्णय/आदेश हेतु आज पेश हुई। वकील वादीगण उपस्थित। वकील वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र बाबत घोषणा, दुरूस्ती रिकार्ड का न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य नहीं पाये जाने पर अस्वीकार किया जाकर वादपत्र को खारिज किया जाता है। तदनुसार डिक्री जारी की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। (अनिल कुमार) सहायक कलक्टर(फास्टट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.26 15:51:07 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर(फास्टट्रेक) श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना राज0

पीठासीन अधिकारी – श्री अनिल कुमार (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
88 / 2024	2024 / 164	24.06.2024	05.12.2024

उनवान प्रकरण

1. पूरन मल कुडी पुत्र मांगूराम आयु 65 वर्ष
2. भगवानाराम पुत्र मांगूराम आयु 60 वर्ष
3. सुवालाल पुत्र मांगूराम आयु 58 वर्ष

जति जाट निवासी ग्राम करडका तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर हाल जिला नीमकाथाना राजस्थान

—वादीगण—

बनाम्

1. भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर हाल जिला नीमकाथाना (राज0)
2. मैनेजर बडौदा राजस्थान क्षैत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा थोई।

——प्रतिवादी——

उपस्थित :—

श्री सुरेश कुमार लाम्बा, एड0 वादीगण अभिभाषक

सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.26 15:51:07 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट टेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

वाद पत्र बाबत् घोषणा, दुरूस्ती रिकार्ड
(अन्तर्गत धारा 88 राज. काश्त. अधि. 1955)

—:: निर्णय ::—

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादीगण ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादी इस आशय से प्रस्तुत किया है कि तन ग्राम करडका पटवार हल्का करडका भू.अ. थोई तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 में अवस्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 453, 454 कुल किता 2 कुल रकबा 0.3300 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 698 रकबा 0.9300 हैक्टर की खातेदारी राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में वादी संख्या–1 का नाम पूर्णमल पुत्र मांग्या दर्ज है एवं वादी संख्या–2 का नाम भगवानसहाय पुत्र मांग्या दर्ज है एवं वादी संख्या–3 का नाम सुवालाल पुत्र मांग्या दर्ज है एवं वादीगण की मृतका माता स्वरूपी पत्नी मांग्या दर्ज है। तन ग्राम करडका पटवार हल्का करडका भू.अ. थोई तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 में अवस्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 811 रकबा 0.7500 हैक्टर, खसरा नम्बर 326, 327, 344, 474, 485, 618, 619, 620, 621, 622, 693, 694, 722, 723, 724, 729, 821, 825, 847, 848, 849, 850, 851 कुल किता 23 कुल रकबा 20.7300 हैक्टर एवं खसरा नमबर 478 रकबा 0. 4300 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 774 रकबा 3.1800 हैक्टर की खातेदारी राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में वादी संख्या–1 का नाम पूर्णमल पुत्र मांग्या दर्ज है एवं वादी संख्या–2 का नाम भगवानसहाय पुत्र मांग्या दर्ज हैं एवं वादी संख्या–3 का नाम सूवालाल पत्रु मांग्या दर्ज हैं एवं वादीगण की मृतका माता स्वरूपी पत्नी मांग्या दर्ज है। वादी संख्या–1 का वास्तविक नाम पूरन मल कुडी पुत्र मांगूराम एवं वादी संख्या–2 का वास्तविक नाम भगवानाराम पुत्र मांगूराम एवं वादी संख्या–3 का नाम सुवाला[illegible] मांगूराम है एवं वादीगण की मृतका माता का नाम स्वरूपी पत्नी मांगूराम ही है एवं इनके समस्त स[illegible] [illegible]वेजात में भी यही नाम दर्ज है इसलिए खातेदारी में वादीगण व [illegible] मृतका माता [illegible] [illegible]क्तानुसार घोषित किया जाकर दुरूस्त किया जाना न्यायोचित व आवश्यक है। [illegible]दीगण ने वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.26 15:51:07 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट टेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

किया है कि वादीगण का वादपत्र निम्न प्रकार डिक्री फरमाया जावे कि तन ग्राम करडका पटवार हल्का करडका भू.अ. थोई तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 में अवस्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 453, 454 कुल किता 2 कुल रकबा 0.3300 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 698 रकबा 0.9300 हैक्टर की खातेदारी राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में वादी संख्या–1 का नाम पूर्णमल पुत्र मांग्या दर्ज है एवं वादी संख्या–2 का नाम भगवानसहाय पुत्र मांग्या दर्ज है एवं वादी संख्या–3 का नाम सुवालाल पुत्र मांग्या दर्ज है एवं वादीगण की मृतका माता स्वरूपी पत्नी मांग्या दर्ज है। तन ग्राम करडका पटवार हल्का करडका भू.अ. थोई तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 में अवस्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 811 रकबा 0.7500 हैक्टर, खसरा नम्बर 326, 327, 344, 474, 485, 618, 619, 620, 621, 622, 693, 694, 722, 723, 724, 729, 821, 825, 847, 848, 849, 850, 851 कुल किता 23 कुल रकबा 20.7300 हैक्टर एवं खसरा नमबर 478 रकबा 0.4300 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 774 रकबा 3.1800 हैक्टर की खातेदारी राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में वादी संख्या–1 का नाम पूर्णमल पुत्र मांग्या के स्थान पर पूरन मल कुडी पुत्र मांगूराम एवं वादी संख्या–2 का नाम भगवानसहाय पुत्र मांग्या के स्थान पर भगवानाराम पुत्र मांगूराम एवं वादी संख्या–3 का नाम सूआलाल पुत्र मांग्या, सुवालाल पुत्र मांग्या के स्थान पर सुवालाल पुत्र मांगूराम एवं वादीगण वादीगण की मृतका माता स्वरूपी पत्नी मांग्या के स्थान पर स्वरूपी पत्नी मांगूराम घोषित किया जाकर दुरूस्त किया जाने का निवेदन वकील वादीगण ने अपने वादपत्र में किया हैं।

इस पर वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर वादपत्र में अंकित तथ्यों के सम्बन्ध में वस्तुस्थिति की तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट तहसीलदार श्रीमाधोपुर से चाही गई। जिसकी पालना में तहसीलदार श्रीमाधोपुर के पत्रांक 2849/भू.अ./24 दिनांक 25.10.2024 के द्वारा जॉच रिपोर्ट प्राप्त हुई। जिसमें तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने पटवार हल्का करडका की रिपोर्ट के आधार पर अवगत कराया है कि राजस्व ग्राम करडका के वर्तमान जमाबंदी संवत 2074–77 [illegible] 2077 से स्थाई के खाता सं. 243 में पूर्णमल सुआलाल भगवानसाहय [illegible] खाता सं. 244 में पूर्णमल सुआलाल भगवानसहाय पि. मांग्या स्वरूपी [illegible] खाता सं. 245 में पूर्णमल सुवालाल

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.26 15:51:07 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

भगवानसाय पि. मांग्या स्वरूपी पत्नि मांग्या , खाता संख्या 246 में पूर्णमल सुवालाल भगवानसाहय पि. मांगया खाता सं. 247 मे पूर्णमल सुआलाल भगवानसाहय पि. मांग्या स्वरूपी पत्नि मांगया एवं खाता संख्या 264 में पूर्णमल सुवालाल भगवानसहाय पि. मांग्या स्वरूपी पत्नि मांगया दर्ज रिकार्ड है। राजस्व ग्राम करडका के खाता सं. 199, 200, 201 एवं 202 में नामा. सं. 114 द्वारा मांग्या पुत्र किशना के फौत होने पर विरासत के नाम से वारिसान पूर्णमल सुवालाल भगवानसहाय पि मांग्या स्वरूपी बेवा मांग्या का इन्द्राज हुआ। स्वरूपी पत्नि मांग्या के फोत होने से पुरन मल कुडी सुवालाल भगवानाराम पि. मांग्या बोदी अमरी(फौत) ग्यारसी(फौत) पुत्रिया मांग्या वारिसान होना बताया गया। राजस्व ग्राम करडका में पूर्णमल सुवालाल भगवानसहाय पि. मांग्या स्वरूपी पत्नि मांग्या तथा पुरन मल कुडी सुवालाल भगवानसहाय पि. मांगूराम स्वरूपी पत्नि मांगूराम एक ही व्यक्ति होना बताया है। वकील वादी ने वादपत्र में तहसीलदार रिपोर्ट प्राप्त हो जाने से प्रकरण में आज ही बहस सुनी जाकर वादपत्र का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया गया।

हमनें वकील वादी की बहस एक पक्षीय सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वकील वादी द्वारा की गई बहस पर सगौर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं राजस्व रिकॉर्ड अंतिम चौसाला आधार जमाबंदी सम्वत् 2074–2077, परिवार राशन कार्ड, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पंजाब नेशनल बैंक की पासबुक की फोटोप्रति, तहसीलदार श्रीमाधोपुर की पटवारी हल्का करडका की जॉच रिपोर्ट के आधार पर भिजवाई गई अभिशंषा रिपोर्ट इत्यादि का अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि तन ग्राम करड़का पटवार हल्का करडका तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 में अवस्थित कृर्शि भूमि खसरा नम्बर 453, 454 कुल किता 2 कुल रकबा 0.3300 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 698 रकबा 0.9300 हैक्टर एवं कृषि भूमि खसरा नम्बर 11 रकबा 0.7500 हैक्टर, खसरा नम्बर 326, 327, 344, 474, 485, 618, 619, 620, 621, 622, 693, 694, 722, 723, 724, 729, 821,

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.26 15:51:07 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

825, 847, 848, 849, 850, 851 कुल किता 23 कुल रकबा 20.7300 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 478 रकबा 0.4300 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 774 रकबा 3.1800 हैक्टर की खातेदारी राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में वादी संख्या–1 का नाम पूर्णमल पुत्र मांग्या दर्ज है एवं वादी संख्या–2 का नाम भगवानसहाय पुत्र मांग्या दर्ज है एवं वादी संख्या–3 का नाम सुवालाल पुत्र मांग्या दर्ज रिकार्ड होना प्रमाणित होता है, जबकि वादी के अन्य दस्तावेजात् यथा परिवार राशन कार्ड, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पंजाब नेशनल बैंक की पासबुक की फोटोप्रति,, तहसीलदार श्रीमाधोपुर की पटवारी हल्का करडका की जॉच रिपोर्ट वादी संख्या–1 का नाम पुरनमल कुडी पुत्र मांगुराम वादी संख्या–2 का नाम भगवाना राम पुत्र मांगू राम एवं वाद संख्या–3 का नाम सुवालाल पुत्र मांगुराम दर्ज रिकार्ड होना प्रकट होता है परन्तु नामान्तरण संख्या 114 से मृतक मांग्या का नाम मांग्या सही दर्ज होना स्पष्ट है। खाता संख्या– 245, 246, 264 में मांग्या के अलावा अन्य एक व्यक्ति मंगला भी कुछ खातेदारो के पिता के रूप में दर्ज हैं जो कि वांछित बदलाव मांग्या से. मंगला के साथ संदेह पेदा करता है क्योंकि नामांतरण संख्या– 114 में मांग्या के वारिसान अलग है जबकि जमाबंदी में दर्ज उक्त मंगला के पुत्र/पुत्रियां अलग व्यक्ति हैं। खाता संख्या 244 में एक अन्य वयक्ति पेमा उर्फ मंगला भी दर्ज है जो कालू उर्फ नानू का पिता दर्ज है। यह पेमा उर्फ मंगला वारिसान की भिन्नता के कारण पूर्व वर्णित मांग्या व मंगला के साथ संदेह पैदा करता है। इस प्रकार नामांतरण संख्या 114 में वादीगण के पिता का नाम मंगला के स्थान पर मांग्या गलत दर्ज होना प्रमाणित नहीं रहा है साथ ही वांछित बदलाव मांग्या से मंगला जमाबंदी में दर्ज अन्य [illegible] के पिता के रूप में दर्ज मंगला व पेमा उर्फ मंगला के साथ भी संदेह [illegible] करण [illegible] के रूप में चाहा गया मंगला

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.26 15:51:07 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट टेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

नामक व्यक्ति पहले से ही उसी जमाबंदी में मौजूद/दर्ज मंगला व पेमा उर्फ मंगला से भिन्न है या नही। अत: वादी का वाद प्रमाणित नहीं होने से मांग्या से मंगला नाम शुद्ध किया जाना स्वीकार योग्य नही है। अत: ऐसी स्थिति में वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र को स्वीकार किया जाकर वादी संख्या–1 का नाम पूर्णमल पुत्र मांग्या के स्थान पर पूरन मल कुडी पुत्र मांगूराम एव वादी संख्या–2 का नाम भगवानसहाय पुत्र मांग्या के स्थान पर भगवानाराम पुत्र मांगूराम एव वादी संख्या–3 का नाम सूआलाल पुत्र मांग्या, सुवालाल पुत्र मांग्या के स्थान पर सुवालाल पुत्र मांगूराम एवं वादीगण की मृतका माता स्वरूपी पत्नी मांग्या के स्थान पर स्वरूपी पत्नी मांगूराम शुद्ध किया जाकर दुरूस्त किया जाना न्यायोचित प्रतित नही होता हैं।

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

अत: उपर्युक्त विश्लेषण से वादीगण का वाद बाबत घोषणा, दुरूस्ती रिकार्ड तन ग्राम करडका पटवार हल्का करडका तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 में अवस्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 453, 454 कुल किता 2 कुल रकबा 0.3300 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 698 रकबा 0.9300 हैक्टर एवं कृषि भूमि खसरा नम्बर 811 रकबा 0.7500 हैक्टर, खसरा नम्बर 326, 327, 344, 474, 485, 618, 619, 620, 621, 622, 693, 694, 722, 723, 724, 729, 821, 825, 847, 848, 849, 850, [illegible] कुल किता 23 कुल रकबा 20.7300 हैक्टर एवं खसरा नमबर 478 रकबा 0.4300 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 774 रकबा 3.1800

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.26 15:51:07 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट टेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

हैक्टर की खातेदारी में वादी संख्या–1 का नाम पूर्णमल पुत्र मांग्या के स्थान पर पूरन मल कुडी पुत्र मांगूराम एवं वादी संख्या–2 का नाम भगवानसहाय पुत्र मांग्या के स्थान पर भगवानाराम पुत्र मांगूराम एवं वादी संख्या–3 का नाम सूआलाल पुत्र मांग्या, सुवालाल पुत्र मांग्या के स्थान पर सुवालाल पुत्र मांगूराम एवं वादीगण वादीगण की मृतका माता स्वरूपी पत्नी मांग्या के स्थान पर स्वरूपी पत्नी मांगूराम प्रमाणित नहीं होने से दुरूस्त किए जाने योग्य नहीं पाए जाने पर उक्त वादपत्र को अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता हैं । पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(अनिल कुमार)
सहायक कलक्टर(फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

यह निर्णय आज दिनांक 05.12.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिल कुमार)
सहायक कलक्टर(फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.26 15:51:07 IST
Reason: SelfAttested